



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 14, 2014/आश्विन 22, 1936

No. 529]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2014/ASVINA 22, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2014

**सा.का.नि. 722(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 139 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और उप-धारा (4), धारा 140 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2), धारा 141 की उप-धारा (3), धारा 143 की उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (8) और उप-धारा (12), धारा 148 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2014 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“10क. धारा 143 की उप-धारा (3) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसके प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कथन होगा:

परंतु किसी कंपनी का लेखापरीक्षक 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम में निर्दिष्ट विवरण स्वेच्छा से सम्मिलित कर सकेगी।”

[फा.सं. 1/33/2013-सीएल-V-भाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सा.का.नि. 246(अ), तारीख 31/3/2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

---

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2014

**G.S.R. 722(E).**—In exercise of powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of Section 139, sub-sections (1) and (2) of Section 140, sub-section (3) of Section 141, sub-sections (2), (3), (8) and (12) of Section 143, sub-section (3) of Section 148 read with sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2014.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, after rule 10, the following shall be inserted, namely:—  
“10A. For the purposes of clause (i) of sub-section (3) of section 143, for the financial years commencing on or after 1st April, 2015, the report of the auditor shall state about existence of adequate internal financial controls system and its operating effectiveness:

Provided that auditor of a company may voluntarily include the statement referred to in this rule for the financial year commencing on or after 1st April, 2014 and ending on or before 31st March, 2015.”

[F. No. 1/33/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014.